

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशना र्थ)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 30/2019-सीमा शुल्क
नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर, 2019

सा.का.नि.... (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में, एतद्वारा, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,

(I) सारणी में क्रम संख्या 515क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“515क	8529	ओपेन सेल (15.6” और उससे अधिक) जिनका प्रयोग शीर्ष 8529 के अंतर्गत आने वाले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) और लाईट इमिटिंग डायोड (एलईडी) टीवी पैनलों के विनिर्माण में किया जाना हो ।	शून्य	-	9
515ख	8529	निम्नलिखित वस्तुएं जिनका प्रयोग शीर्ष 8529 के अंतर्गत आने वाले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) और लाईट इमिटिंग डायोड (एलईडी) टीवी पैनलों के विनिर्माण में किया जाना हो, यथा:- (i) चिप ऑन फिल्म; (ii) प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एसेम्बली (पीसीबीए); (iii) सेल (ग्लास बोर्ड/सबस्ट्रेट)	शून्य	-	9”;

(II) प्रथम परन्तुक में उपवाक्य (ग) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(घ) उक्त सारणी के क्रम संख्या 515क और 515ख के समक्ष विनिर्दिष्ट माल पर 30 सितम्बर, 2020 के पश्चात” ।

(फाइल संख्या 354/20/2017- टीआरयू भाग(

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 25/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 06 जुलाई, 2019, जिसे सा.का.नि. 482 (अ), दिनांक 06 जुलाई, 2019 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।